वर्ष: 01 अंक: 07

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - नवंबर - 2021

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्षः 01 अंकः 07 नवंबर 2021

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से हर माह न्यूजलेटर प्रकाशित करने का सिलसिला बदस्तुर जारी है। हमें यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से अभी तक न्यूजलेटर के छह अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इन छह अंकों के प्रकाशन के बीच कमियों को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया गया है। मानवीय गुणों के कारण फिर भी त्रुटियां संभव हैं। लेकिन हम सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे। दिसंबर माह के दौरान हम आयोग की ओर से सातवां अंक प्रकाशित कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन में अब दिसंबर माह में क्रिसमस का त्यौहार है। आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस अंक में भी हमने आयोग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को संकलित किया है। साथ ही उन घटनाओं का भी जिक्र किया है जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए बकायदा मौके पर पहुंचकर अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाए। आप सबके सहयोग से न्यूज लेटर को सफल बनाने की आशा करते हैं।

क्रिसमस और आने वाले नए साल की आप सभी को बहुत–बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं!

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE-CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI, MEMBER

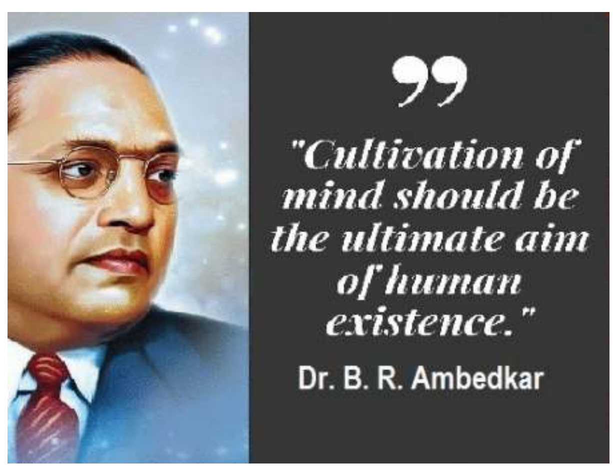

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का सन्देश

विजय सांपला

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर के सातवें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा न्यूजलेटर का सातवां अंक प्रकाशित प्रकाशित किया जा रहा है। आयोग अपने न्यूजलेटर के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए लगातार प्रयासरत है कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता व वचनबद्धता को निभाने के लिए काम कर रहा है।

इसके अलावा आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्पॉट विजिट से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई तक कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से मिली घटनाओं की जानकारी पर भी आयोग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित सरकारों और प्रशासन से जवाब मांगा जाता है। न्यूज लेटर के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय–समय पर पहुंचती रहे।

बीते माह भी आयोग के समक्ष कई ऐसी घटनाएं आईं जो यह बताने के लिए काफी थी कि अनुसूचित जाति के गरीब लोग ही समाज के सताए हुए नहीं हैं बल्कि हाई प्रोफाइल लोग भी इसके शिकार हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर आज के दौर में भी समाज में कितना भेदभाव है। ऐसी घटनाओं पर आयोग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की ताकि पीड़ितों को न्याय भी मिले और समाज में बदलाव लाने का संदेश भी फैले।

आप सबको, क्रिससम और आने वाले नए साल की बधाई देते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुन्दर भविष्य की कामना करता हूं।

सादर धन्यवाद

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला
@thevijaysampla

वानखेड़े सही साबित हुए तो आयोग करेगा उनके अधिकारों की रक्षा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (छब्ठ) मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी से आयोग मुख्यालय में मुलाकात की। इस दौरान वानखेड़े ने खुद को प्रताड़ित किये जाने का आरोप लगाया। आयोग अध्यक्ष के समक्ष उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें किसी झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। वानखेड़े ने आयोग को मामले से संबंधित कई अहम दस्तावेज सौंपे। समीर वानखेड़े ने आयोग को अपना जाति प्रमाण पत्र, पहली पत्नी से हुए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और तलाक के कागजात भी सौंपे। इस दौरान आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे। इनके अलावा आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि वानखेड़े ने पहले भी एक अर्जी दी थी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वानखेड़े ने आयोग को कागजातों के साथ बताया कि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और इसमें किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए. माननीय अध्यक्ष ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और कमिश्नर से जानकारी मांगी है। जानकारी मिलने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम वानखेड़े के दस्तावेजों को सही पाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।

यह था मामला

दरअसल महाराष्ट्र के एक नेता ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल की। नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके कारण एक योग्य दलित नौकरी से वंचित रह गया। महाराष्ट्र के नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किय था। उन्होंने कहा कि वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने इस्लाम धर्म को अपनाया था, जिसके बाद समीर ने दलित सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया और एक दलित अभ्यर्थी का मौका छीन लिया।

मीटिंग

आयोग अध्यक्ष से मिला पैरा बोसिया खिलाड़ियों का प्रतिनिधमंडल

पैरा बोसिया स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी (इंडिया) का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला से मिला। इस दौरान आयोग अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल में आए पैरा बोसिया खेल के खिलाड़ियों से कई मुद्दों पर बात की। माननीय अध्यक्ष ने इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। साथ ही माननीय अध्यक्ष ने इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया।

स्पॉट विजिट

अलीपुर में जमीनी विवाद का मामला

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नई दिल्ली के अलीपुर इलाके में जमीनी विवाद से संबंधित एक मामले की शिकायत मिली थी। इस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने जमीनी विवाद से संबंधित प्रकरण का स्पॉट विजिट किया। इस दौरान आयोग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। स्पॉट विजिट के दौरान माननीय सदस्या ने उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विषय पर चर्चा की और न्यायोचित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सदस्या की अध्यक्षता में किए गए इस स्पॉट विजिट के दौरान संबंधित एरिया डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट, दिल्ली पुलिस के डीसीपी एवं इलाके के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी संबंधित अधिकारियों ने आयोग की टीम को यह सुनिश्चित किया कि मामले में जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा।

जनसुनवाई

विक्लांग प्रार्थी ने अपनी दयनीय स्थिति से उपाध्यक्ष को अवगत कराया

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में एक गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार। इस दौरान विक्लांग प्रार्थी ने अपनी दयनीय स्थिति से माननीय उपाध्यक्ष को अवगत कराया। सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी व आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष ने मामले में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

विभिन्न राज्यों से आये हुए लोगों की सुनी शिकायत

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के कार्यालय में विभिन्न राज्यों से आये हुए व्यक्तियों की जन समस्याएं सुनी एवं उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान प्रार्थी, अधिकारी व संबंधित अथॉरिटीज के अधिकारी भी मौजूद

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों की सुनीं शिकायतें

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने नवंबर माह में कर्नाटक राज्य का दौरा किया। कर्नाटक दौरे का नेतृत्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉण् अंजू बाला ने किया। इस दौरान उन्होंने बेंगुलुरू क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। साथ ही उनके समाधान संबंधित विषयों पर विचार विमर्श भी किया।

माननीय सदस्या ने कर्नाटक दौरे के दौरान राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव, सचिव (माइंस), पुलिस विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचाराधीन मामलों पर सुनवाई कर न्यायोचित कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया।

खबरों में आयोग

NEWS •LIVE TV INDIA TODAY APP

HOME MY FEED INDIA WORLD BUSINESS TECH MOVIES T20 WC SCIENCE HAPPINESS QUEST

T20 WORLD CUP 2021

News / India /

If documents are correct, will ensure Sameer Wankhede's rights are upheld: SC commission chief

Advertisement

NCSC chairman Vijay Sampla met with Sameer Wankhede on Monday and said that if documents related to the NCB officer are found to be in order, the commission will ensure that his rights are upheld.

Sameer Wankhede meets NCS chairperson in Delhi, submits documents

Manharashtra minister and NCP leader Nawab Malik has levelled a se Wankhede.

By: PTI | New Delhi |
Updated: November 1, 2021 3:53:00 pm

ANI

TUE, NOV 23, 2021 | UPDATED 14:13 IST

South Asia's Leading Multimedia News Agency

National World Business Sports Lifestyle Entertainment Health

NCB Zonal Director Sameer Wankhede (Photo/ANI)

Sameer Wankhede submits his documents to NCSC Chairman in Delhi

ANI | Updated: Nov 01, 2021 14:46 IST

New Delhi [India], November 1 (ANI): Narcotics Control Bureau (NCB) Zonal Director Sameer Wankhede, who is investigating the Mumbai cruise ship drugs case, on Mor submitted his documents to the Chairman of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) in Delhi.

"Whatever facts and documents were asked by the Commission have been provided them today. My documents will be verified and the Commission's Chairman will repl it soon," Wankhede told the media after meeting with Chairman of NCSC, Vijay Sam

Firstpost.

Health India World Arts & Culture Sports Entertainment Tech IND VS NZ

headquarters hours after meeting NCSC chief, submits caste documents

Wankhede was seen entering the head office of the Narcotics Control Bureau in the national capital's R K Puram area soon after he met National Commission for Scheduled Castes chairperson Vijay Sampla

Press Trust of India | November 01, 2021 16:08:23 IST

को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को अपना मूल जाति प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात भी की। आयोग सत्यापन के लिए महाराष्ट्र सरकार को दस्तावेज भेजेगा।

वानखेड़े से मुलाकात के बाद एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने पत्रकारों को बताया कि वानखेड़े द्वारा दिए गए दस्तावेज का सत्यापन महाराष्ट्र सरकार से किया जाएगा। उसके वैध पाए जाने पर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वानखेड़े क्रूज मादक पदार्थ मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया

नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े। • एएनआई

था। अभी वह जमानत पर हैं। सूत्रों का कहना है कि वानखेड़े ने अपनी पहली शादी के तलाक के दस्तावेज, जन्म प्रणाम पत्र एवं अन्य कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। मालूम हो कि महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है।

डिवोर्स पेपर, बच्चे का बर्थ और खुद का एससी सर्टिफिकेट लेकर SC-ST आयोग पहुंचे समीर वानखेड़े

Visit nearest Pantaloons store
Pantaloons

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े ने सोमवार को अनुसूचित जाति आयोग को अपने सारे दस्तावेज सौंप दिए. उन्होंने बताया कि दस्तावेज की जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट देगा.

स्टोरी हाइलाइट्स

- वानखेड़े ने SC-ST आयोग को सौंपे दस्तावेज
- शादी से जुड़े दस्तावेज भी आयोग को दिए

मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली में अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के दफ्तर में पहुंचे. यहां उन्होंने कई अहम दस्तावेज कमिशन को सौंपे हैं. दस्तावेज सौंपने के बाद बाहर आए वानखेड़े ने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स आयोग को दे दिए गए हैं, अब वेरिफिकेशन के बाद आयोग इसकी रिपोर्ट देगा. वहीं, आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि वानखेड़े के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है.

होम वीडियो सर्च

जाति पर विवाद: समीर वानखेड़े ने दिल्ली में SC आयोग में कास्ट सर्टिफिकेट पेश किया, आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

मुंबई 22 दिन पहले

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में एक मामले की सुनवाई करते हुए। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और प्रार्थी समेत संबंधित अथॉरिटीज के अधिकारी भी मौजूद रहे। (ऊपर)

एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला।
इस मौके पर माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी मौजूद रहे। (नीचे)

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003